निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 25/2021
दायरा दिनांकः—04.01.2021
निर्णय दिनांकः— 30.9.24

उनवान

1 मांगीबाई आयु 68 वर्ष पत्नि रामरतन जाति काछी (कुशवाह) निवासी छबडा ईदगाह चौराहे के पास तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल आयु 65 वर्ष आत्मज बद्रीलाल जाति धाकड
2. रामकल्याण आयु 48 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल जाति धाकड
3. कन्हैयालाल आयु 46 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल जाति धाकड
4. बाबूलाल आयु 42 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण उर्फ गबरूलाल जाति धाकड निवासी बडोदिया हाल निवास ईदगाह चौराहे के पास निपानिया रोड तहसील छबडा जिला बारां राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 30.9.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं. 319/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके टोडी तहसील छबडा जिला बारां राज में अवस्थित है। जिसका शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करने का प्रार्थीया वैधानिक अधिकारी है। उक्त आराजी का इन्द्राज भू—अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। जो संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीया की उक्त आराजी मे से निपानीया रोड़ बन जाने के कारण प्रार्थीया की भूमि दो भागों मे विभाजित हो गयी। रोड के दूसरी तरफ प्रार्थीया की भूमि का दुसरा हिस्सा अप्रार्थी की भूमि खसरा न. 320 रकचा 3 बीथा 13 विस्या के लगया है। जिसके कारण अप्रार्थी एवं उसके परिजन प्रार्थीया की भूमि को अपनी भूमि में मिलाना चाहते हैं तथा उस पर मकान दुकान बनाने पर आमादा है जिसके लिए दिनांक दिनांक 23.11.2020 को जे.सी. बी. मशीन से नीव की खुदाई करने इसके बाद पुन दिनांक 23.12.2020 को निर्माण कार्य चालू करने पर प्रार्थीया व उसके पुत्र शिवराज व पौत्र द्वारा मना करने पर भी नहीं माने प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर वादीया की उक्त भूमि पर रोड के सहारे गलत तरीके से मकान व दुकान का निर्माण करने की एवं प्रार्थीया या उसके परिजन के वहां आने पर हाथ—पैर काटने व जान से मारने व झूठे केस में फसाने की धमकी दी। प्रार्थीया द्वारा थाना छबडा में भी रिपोट की किन्तु उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थीया की भूमि पर अप्रार्थी एवं उसके परिजन व प्रतिनिधियो को मकान—दुकान का पक्का निर्माण करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा वादीया की उक्त भूमि पर जबरन जे.सी.बी. मशीन से नीव की खुदाई चालू करने व वादीया व उसके पुत्र शिवराज व पौत्र द्वारा मना करने पर नहीं माने अप्रार्थी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नबूझकर प्रार्थीया की उक्त भूमि पर रोड के सहारे गलत तरीके से मकान व दुकान का निर्माण करने की एवं प्रार्थीया या उसके परिजन के वहां आने पर हाथ–पैर काटने व जान से मारने व झूठे केस में फसाने की धमकी देने परयह आशंका उत्पन्न हो गई कि कभी भी अप्रार्थी उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान व दुकान का निर्माण कर सकते है। इसलिए उक्त कृत्य को रोकने हेतु अप्रार्थी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। यदि मुताबिक धमकी अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान दुकान बना लिया तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव होगी तथा प्रार्थीया को अकारण कई मुकदमों में उलझना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की वैधानिक अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करने बाबत प्रार्थीगण द्वारा इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 21.08.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 131 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम टोडी पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 131 के अनुसार खसरा नम्बर 319/1 रकबा 2.14 बीघा श्रीमति मांगीबाई पत्नि रामरतन काछी सां0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है विवादित आराजी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की नही है प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है अप्रार्थीगण प्रार्थीया की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करता है तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भवना है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम टोडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 319/1 रकबा 2.14 बीघा पर प्रार्थीया के शान्तिपूर्वक काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थीया की आराजी के किसी भी भू भाग पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नही करे। ऐसा कृत्या ना तो स्वंय करे। और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा